UPBN010092032022

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बदायूं।
उपस्थितः विवेक संगल, एच०जे०एस०
दाण्डिक निगरानी संख्या– 296/2022

अरिहन्त जैन पुत्र डॉ० चक्रेश कुमार जैन आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी 73 जैन अस्पताल, विवेक बिहार कालोनी, थाना सिविल लाइन जिला बदायूँ।

––––––निगरानीकर्ता

बनाम

1– सरकार
2– श्री महावीर सिंह यादव पुत्र ब्रजपाल सिंह
3– श्री शैलेन्द्र यादव पुत्र महावीर सिंह यादव
निवासीगण 38 सिविल लाइन नेकपुर निकट डॉ० संतोष सिंह तिराहा सिविल लाइन जिला बदायूँ।
4– श्री महेन्द्र पाल सिंह यादव पुत्र स्व० चौखे लाल यादव, कलेक्ट्रेट बदायूँ स्थायी निवासी ग्राम पसेई पोस्ट गोरामई, बदायूँ।

–––––––––विपक्षीगण

निर्णय

1– यह दाण्डिक निगरानी परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज जू०डि० (त्वरित न्यायालय)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा फौजदारी वाद संख्या – 29738/2021 – अरिहन्त जैन बनाम महावीर सिंह आदि के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 01.11.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से परिवादी/निगरानीकर्ता का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किया गया है।

2– मैंने पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना तथा इस निगरानी की पत्रावली व परिवाद प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

3– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा डॉ० अरिहन्त जैन द्वारा जन शिकायत प्रकोष्ठ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को अभियुक्तगण महावीर यादव, शैलेन्द्र यादव व महेन्द्र पाल यादव द्वारा उसको पत्र भेज कर एक करोड़ 70 लाख की माँग करने तथा न देने पर धोखाधड़ी, लूट, बिजली के मीटर से छेड़छाड़ आदि कृत्यों की गंभीर धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज कराने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.04.08 16:50:19 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

25.08.2018 को समय 23.40 बजे थाना सिविल लाइन जिला बदायूँ पर अभियुक्तगण माहवीर यादव, शैलेन्द्र यादव व महेन्द्र पाल यादव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०– 566/2018 धारा 388, 389 भा०दं०सं० के अंतर्गत पंजीकृत हुई। उक्त मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा कोई अपराध कारित होना न पाते हुए अंतिम आख्या संख्या– 281/2018 न्यायालय में प्रषित की गयी। उपरोक्त अंतिम आख्या के विरुद्ध वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट याचिका दिनांकित 06.03.2021 प्रस्तुत की गयी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूँ द्वारा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांकित 23.11.2021 पारित करते हुए प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया तथा अंतिम आख्या सं०– 281/2018 को निरस्त किया गया।

4– तत्पश्चात् परिवादी डॉ० अरिहन्त जैन द्वारा स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अंतर्गत तथा साक्षीगण पी०डब्लू०–1 डॉ चक्रेश जैन व पी०डब्लू०–2 श्रीमती रजनी जैन को धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत न्यायालय में परीक्षित कराया गया। न्यायालय सिविल जज जू०डि०/ त्वरित न्यायालय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांकित 01.11.2022 पारित किया गया। जिसमें पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामला सिविल प्रकृति का पाते हुए तथा प्रस्तुत परिवाद में भा०दं०सं० के अंतर्गत कोई भी प्रथम दृष्टया मामला न बनना पाते हुए परिवाद को धारा 203 दं०प्र०सं० के अंतर्गत निरस्त किये जाने का आदेश किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

5– निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में व तर्कों में आधार लिये गये हैं कि प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेज़ी साक्ष्य तथा विधि व्यवस्थाओं के सर्वथा प्रतिकूल एवं विधि विरूद्ध है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्रों सशपथ ब्यान वादी अन्तर्गत धारा–200 सी०आर०पी०सी० तथा प्रस्तुत साक्षीगण धारा–202 सी०आर०पी०सी० में डा० चक्रेश जैन अभियोजन साक्षी 1 तथा श्रीमती रजनी जैन अभियोजन साक्षी 2 के ब्यानात तथा विपक्षीगण द्वारा प्रेषित पंजीकृत नोटिस दिनांकित 24.11.2017 की अर्न्तवस्तु का उचित अवलोकन किये बिना मनमाने ढंग तथा विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01.11.2022 पारित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्यों, प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–566/2018 डा० अरिहन्त जैन बनाम महावीर सिंह+ 2 धारा–388/389 आई०पी०सी० थाना सिविल लाइन बदायूँ तथा ब्यानात 161 सी०आर०पी०सी० व वादी पक्ष बादहू परिवाद में दर्ज साक्षीगण के सशपथ ब्यानात का उचित व विधिपूर्वक मूल्यांकन विद्वान मजिस्ट्रेट ने नहीं किया। विपक्षी सं०–4 द्वारा विपक्षीगण 2 व 3 के निर्देशानुसार दिये गये नोटिस की अर्न्तवस्तु धारा–388, 389 आई०पी०सी० का परिधि में पूर्णतः आता है तत्पश्चात् जानलेवा धमकी तथा अभद्रता धारा–506, 504 आई०पी०सी० की परिधि में पूर्णतः आता है। इन्हीं धाराओं के प्रकाश में वादी तथा साक्षीगण द्वारा दिये गये सशपथ ब्यानो तथा नामित अभियुक्तगण की साशय आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में आता है किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक कृत्यों को सिविल प्रकृति का

मानकर वाद को धारा–203 सी०आर०पी०सी० में खारिज देना विधि विरुद्ध तथा नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है, जबकि वाद किसी सिविल सम्पत्ति का नहीं है कोई सम्पत्ति विषय वस्तु नहीं है। विपक्षीगण द्वारा पूर्व में निगरानीकर्ता तथा उसके पिता के भवन के स्वीकृत मानचित्रों पर साशय निराधार आपत्तियाँ करना विपक्षीगण 2, 3, 4 के दुराशय को दर्शाता है इनकी अपील श्रीमान जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गयी इसी क्रम में उक्त विपक्षीगण द्वारा की गयी धारा–388, 389, 504, 506 आई०पी०सी० की घटनाओं को सिविल प्रकृति का मानना विधि विरूद्ध है। निगरानीकर्ता की प्राथमिकी के बाद विद्वेषपूर्ण ढंग से विपक्षीगण द्वारा दो प्राथमिकी दर्ज कराना उनकी दुराशय को दर्शाता है। उक्त दोनों प्राथमिकी से अन्तिम आख्या दाखिल हो चुकी है। अन्त में आदेश दिनांकित 01.11.2022 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

6. दूसरी ओर विपक्षीगण सं० 2 व 3 तथा विपक्षी सं० 4 के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस आशय के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि प्रकरण वास्तव में सिविल प्रकृति का है एवं निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण पर अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से आपराधिक कृत्यों का रूप देते हुए झूठे कथनों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी थी जिसमें सही व निष्पक्ष विवेचना करते हुए सही प्रकार से विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गयी थी परंतु विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा वादी/निगरानीकर्ता की प्रोटेस्ट याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया। परिवाद कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त समस्त सामग्री को आधारित करते हुए सही प्रकार से परिवाद प्रकरण को अंतर्गत धारा 203 सी०आर०पी०सी० को निरस्त कर दिया गया। इस कारण यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

7. तथ्यों की विवेचना करने से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि निगरानी की कार्यवाही के दौरान दोनों ही पक्षों द्वारा एक संयुक्त प्रार्थना पत्र 24क इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता तथा विपक्षीगण सं० 2 लगायत 4 के मध्य जो भी विवाद था वह अब निस्तारित हो गया है, अब कोई विवाद शेष नहीं है। निगरानी तदनुरूप निस्तारित कर दी जाए।

8. आलोच्य आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह प्रेक्षण किया गया है कि नोटिस दिनांकित 24.11.2017 के माध्यम से विपक्षी द्वारा परिवादी से जिस धनराशि की माँग की गयी थी वह फिरौती के रूप में नहीं की गयी थी बल्कि अपने किसी नुकसान की भरपायी के लिए की गयी थी; पक्षगण के मध्य स्वामित्व व अध्यासन में हस्तक्षेप का विवाद है एवं उक्त विषय साक्ष्य से संबंधित है, तत्संबंध में परिवादी अपना पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष रख सकता है। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कोई प्रथम दृष्टया अपराध सृजित नहीं होता है, प्रकरण सिविल प्रकृति का है। उक्त आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद को अंतर्गत धारा 203 सी०आर०पी०सी० निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

9. उक्त परिपेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि परिवादी की ओर से योजित प्राथमिकी में तथाकथित घटना 24.11.2017 की बतायी गयी है जिसको फिरौती हेतु पत्र भेजना कहा गया है परन्तु प्राथमिकी दिनांक 25.08.2018 को दर्ज करायी गयी थी, आक्षेपों की गम्भीरता के दृष्टिगत उपरोक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण अग्रसारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त प्राथमिकी में ही जो कथन किये गये हैं एवं तत्सम्बन्ध में परिवाद कार्यवाही के दौरान जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में किसी भूखण्ड के स्वामित्व, अध्यासन, स्वामित्व के प्रसंगों से उत्पन्न विवाद सन्निहित है एवं अधिकांश परिवेदना ऐसे कृत्यों से ही उत्पन्न हुई है। परंतु तत्संबंध में सक्षम दीवानी न्यायालय में किसी वाद को परिवादी द्वारा याजित किये जाने संबंधी कोई प्रसंग प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी श्रंखला में उल्लेखनीय है कि परिवादी सहित समस्त पक्षकारों द्वारा उपरोक्त वर्णित संयुक्त प्रार्थना पत्र 24क भी प्रस्तुत किया गया। ऐसे समस्त तथ्यों व परिस्तिथियों से भी यही परिलक्षित होता है कि प्रकरण वास्तव में दीवानी प्रकृति का ही था एवं इस कारण ही इसका निराकरण करते हुए ही पक्षगण ने अपने मध्य लंबित परस्पर विवाद को समाप्त कर लिया है। अन्यथा भी निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह दर्शित नहीं कर सके हैं कि आलोच्य आदेश किस प्रकार दूषित है।

10. उपरोक्त समग्र विवेचना के प्रकाश में आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्यों की कोई त्रुटि एवं क्षेत्राधिकारिता के प्रयोग की कोई अनियमितता होना परिलक्षित नहीं होता है। तदैव आलोच्य आदेश में किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः यह दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

यह दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान सिविल जज जू०डि० (त्वरित न्यायालय)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा फौजदारी वाद संख्या – 29738/2021 – अरिहन्त जैन बनाम महावीर सिंह आदि के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 01.11.2022 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय की प्रति सहित मूल पत्रावली दाखिल अभिलेखागार की जाए तथा इस निगरानी की पत्रावली को भी दाखिल अभिलेखागार किया जाए।

दिनांक– 08.04.2026

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 08.04.2026

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।